

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क.:एफ 28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./ए.सी.पी./बीकानेर-संभा/2018/274

जयपुर, दिनांक: 12-02-2020

:: आदेश ::

श्री रामकिशन शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ़, जिला चुरू की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.07.1989 के अनुसार इनकी 27 वर्ष की संतोषप्रद सेवायें दिनांक 02.07.2016 को पूर्ण होने पर इन्हे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 व परिशिष्ट-VI के तहत पे मेट्रिक्स की लेवल 12 में तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ~~चुरू~~ को उनके पत्र क्रमांक 8472-74 दिनांक 18.12.2019 के क्रम में श्री रामकिशन शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी की सेवापुस्तिका (सजिल्द 01) व अन्य पत्रादि की प्रतियाँ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि इनकी सेवापुस्तिका में पूर्व में किये गये वेतन नियतनों की विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच करते हुए ए.सी.पी. स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ़, जिला चुरू।
4. श्री रामकिशन शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ़ (चुरू)।
5. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)